



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2024/HQ/Admin/RTI-1162

New Delhi: 17.12.2024

श्री गोपाल हरिजन
पुत्र श्री स्व0 सुमेर हरिजन
निवासी समसपुर, थाना चुनार,
जिला मीरजापुर, हाल मुकाम शेखवा,
थाना अहरौरा, उत्तर प्रदेश-231001
मोबाइल-9621310136

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना।

संदर्भ: आपका आरटीआई आवेदन 12.11.2024, जो इस कार्यालय में CGM/ Allahabad-E के कार्यालय द्वारा दिनांक 16.12.2024 को प्राप्त हुआ।

आपने उपरोक्त आरटीआई आवेदन मुख्य महाप्रबंधक/ प्रयागराज (पूर्व) के कार्यालय को भेजा था। उपरोक्त आवेदन के सन्दर्भ में, संबंधित कार्यालय से प्राप्त सूचना संलग्न है।

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण और संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिसका नाम और पता इस प्रकार है:

श्री गौरव शर्मा
महाप्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,
चतुर्थ मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,
प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001

संलग्न: 01 पृष्ठ

(एस. के. पण्डा)

अपर महाप्रबंधक / प्रशा. (ज. सू. अ.)

9717636811

पत्र सं०- ALD(E)/EN/RTI/71 Vol.-IV

Dated: 16.12.2024

Chief Public Information Officer
Corporate Office
New Delhi


Sub: RTI regarding information sought by Gopal/S/o. Lt. Sumer Harijan, Add. Shekhava, Ahraura, Mirzapur.

Ref: प्रार्थी गोपाल द्वारा आवेदन दिनांक 12.11.2024.

उपरोक्त सन्दर्भित में प्रार्थी गोपाल द्वारा आवेदन पत्र में मांगी गयी जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के तहत सूचना निम्नवार उपलब्ध करायी जा रही है:-

क्र. सं.	प्रार्थी द्वारा मांगी गयी सूचना	प्रार्थी द्वारा मांगी गयी सूचना का जवाब
1.	यह कि प्रार्थी भूमि अधिग्रहण मुआवजा का मु०-11,69,353 रु० का प्रार्थी को भुगतान हेतु चेक सं०-274016 दिनांक 30.10.2015 को श्रीमान भूमि अध्याप्ति/सिंचाई मीरजापुर द्वारा जारी हुआ है।	हाँ।
2.	यह कि उपरोक्त धनराशि का भुगतान किस तारीख को किस एकाउण्ट में भुगतान किया गया यदि अभी तक उपरोक्त धनराशि का भुगतान प्रार्थी को नहीं किया गया तो उसका कारण क्या है।	तत्समय सम्बन्धित परियोजना प्रभावित व्यक्ति को प्रतिकर का भुगतान चेक के माध्यम से किया जाता था जिसे स्वयं काश्तकार द्वारा अपने बैंक खाते में जमा कर भुगतान प्राप्त किया जाता था। प्रार्थी गोपाल के खाता सं० 3866000100154468 में भुगतान डी.एफ.सी.सी.आई.एल. खाते से दिनांक 03.11.2015 को रु० 11,69,354/- को जमा किया जा चुका है।

उपरोक्त मांगी गयी सूचना मुख्य महाप्रबन्धक/प्रयागराज/पूर्व के द्वारा अनुमोदित है।


(मनुज सारस्वत)

परियोजना प्रबंधक/इंजी०
डी०एफ०सी०सी०आई०एल०
प्रयागराज (पूर्व)

Copy to: PIO/Corporate Office New Delhi.